न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 543/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
भैराराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती, नांद तहसील व जिला बाडमेर		1– आसुराम पुत्र रासिंगाराम 2– भंवराराम पुत्र रासिंगाराम दोनो जाति जाट निवासीगण आदर्श बस्ती, नांद तहसील व जिला बाडमेर 3– तहसीलदार बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 12–3–2016 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2014 अनवान आसुराम वर्गैरा बनाम भेराराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री एम0एल0खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री तेजाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 2 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 29–12–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वास्ते नक्शे मे तरमीम दुरस्ती का प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण की खरीदसुदा खसरा नंबर 723/388 रकबा 06 बीघा भूमि का नामांतरकरण संख्या 395 ग्राम पंचायत नांद द्वारा पारित किया गया तथा बाद मे प्रार्थीगण के खरीदसुदा मूल खसरा नंबर 723/388 का विभाजन भी आपस मे कर लिया, जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, लाटा आदि बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया गया कि प्राथीगण के सेढा सेढ ही विप्रार्थी संख्या 1 का खसरा नंबर 722/388 रकबा 73.18 बीघा आया हुआ है तथा कथन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 के खेतो के बीच तरमीम भी की हुई है परंतु लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम तथा मौके पर मौजुद कब्जा काश्त एवं राजस्व जमाबंदी मे भारी अंतर है क्योकि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड मे मूल खसरा नंबर 723/388 का 06 बीघा रकबा दर्ज है तथा प्रार्थी का 06 बीघा पर ही प्रार्थी का कब्जा काश्त है जबकि लट्ठा ट्रेस मे तरमीम 06 बीघा से कम है । इसप्रकार राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो द्वारा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम मौके पर मौजुद कब्जा काश्त अनुसार नही करके अशुद्ध तरमीम कर दी जिसे दुरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–3–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तरमीम दुरस्ती बाबत आदेश पारित कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यो एवं परिस्थितियो पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन मे विवादित आराजी साक्ष्य एवं सबूत विषय का होने से तरमीम दुरस्ती का आदेश पारित किया ही नही जा सकता था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा उनके समक्ष रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके तरमीम दुरस्ती का आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि दिनांक 19–2–16 की आदेशिका से आगामी पेशी दिनांक 29–3–2016 मुकर्रर थी परंतु पत्रावली को उक्त नियत दिनांक से पूर्व ही दिनांक 12–3–16 को लोक अदालत केम्प मे ले जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि उक्त केम्प मे पत्रावली को रखने की सूचना बाबत पत्रावली पर कोई नोटिस उपलब्ध नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0गण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थनापत्र के जरिये रकबे की कमी पूर्ति करवाने का निवेदन किया था जबकि धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र मे किसी खातेदार की भूमि कम या ज्यादा करने के आदेश पारित नही किये जा सकते है, केवल कोई लिपिकीय त्रुटि को ही दुरस्त करने का आदेश पारित किया जाने का प्रावधान है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि लोक अदालत मे केवल राजीनामे के प्रकरणो का ही निस्तारण किये जाने के निर्देश है परंतु वर्तमान मामले मे पक्षकार सहमत नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय समर्थन योग्य नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–3–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए हमने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हमारे खातेदारी की भूमि पर की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरस्त करवाने बाबत विधिवत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यालायय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ हमारे खातेदारी बाबत जमाबंदी संवत 2068–71 की नकल भी पेश की जिसमे हमारा रकबा 06 बीघा अंकित है परंतु नक्शे मे तरमीम 06 बीघा की नही होकर

03 बीघा की होने से नक्शे मे की गई तरमीम को दुरस्त करवाने बाबत निवेदन किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच एवं सुनवाई के जो अपीलाधीन निर्णय के द्वारा ग्राम आदर्श बस्ती पटवार मण्डल नांद के खसरा नंबर 902/388 एवं खसरा नंबर 723/388 की विद्यमान लट्ठा ट्रेस मे तरमीम एबी को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर के पत्र क्रमांक 2457 दिनांक 8–7–14 के सलंग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम सीबी लाईन अनुसार दुरस्त करने के आदेश पारित किये है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट भेरा वल्द प्रभु के नाम राजस्व रेकर्ड मे खसरा नंबर 722/388 की 73.15 बीघा भूमि दर्ज है जबकि लट्ठा ट्रेस मे 76. 15 बीघा की तरमीम की हुई है अथार्त रेस्पो0 के नक्शे मे 3 बीघा की कम तरमीम अपीलाट के खसरा नंबर के नक्शे की तरमीम मे जोड दिया जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उक्त त्रुटि को तहसीलदार बाडमेर से रिपोर्ट प्राप्त कर दुरस्त करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उसमे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नक्शा ट्रेस की सत्यप्रति के अवलोकन से यह प्रकट है कि खसरा नंबर 723/388 एवं खसरा नंबर 722/388 की सीमा लगती हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी संवत 2068–71 अनुसार खसरा नंबर 723/388 की 06 बीघा भूमि रेस्पो0 आसूराम वल्द रासींगाराम वगैरा के नाम तथा खसरा नंबर 722/388 रकबा 73.18 बीघा भूमि वर्तमान अपीलांट भेरा वल्द प्रभु एवं अन्य नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है । परंतु रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि की नक्शा लट्ठा ट्रेस मे 06 बीघा के स्थान पर 03 बीघा भूमि की ही तरमीम की हुई होने से रेस्पो0गण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर उक्त नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रकबे के अनुरूप करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने तहसीलदार बाडमेर से अपीलाधीन भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार बाडमेर से तलब की गई ।

तहसीलदार बाडमेर ने मौके की जांच करवाने पर पटवारी हल्का एवं निरीक्षक भू अभिलेख हल्का ने दिनांक 27–6–2014 को मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट तैयार की, जिसे तहसीलदार बाडमेर ने दिनांक 8–7–2014 को अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की जिसमे यह स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि खसरा नंबर 723/388 का लट्ठा ट्रेस मे तरमीम 6 बीघा के स्थान पर 3 बीघा है तथा खसरा नंबर 722/388 की लट्ठा ट्रेस मे तरमीम 73.15 बीघा के बजाय 76.15 बीघा की हुई है तथा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम व जमाबंदी मे अंकित रकबा मेल नही खा रहा है । उक्त फर्द मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित नक्शा ट्रेस बनाकर पेश किया जिसके अनुसार तरमीम करने पर खसरा नंबर 723/388 का रकबा 3 बीघा के स्थान पर 6 बीघा हो सकेगा, जो रेकर्ड अनुसार सही है ।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–3–2016 के द्वारा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 27–6–2014 के अनुसार तरमीम दुरस्ती का जो आदेश पारित किया है, वह समर्थन योग्य प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–3–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर